



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1781/9-1-2020-48 टी0ए0-20

लखनऊ, 12 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-389

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2867/9-1-2019-35 टी0ए0-18, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत निगोही, जिला शाहजहाँपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती है, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2867/9-1-2019-35 टी0ए0-18, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग नौ-क' के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत निगोही, जिला शाहजहाँपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत निगोही, जिला शाहजहाँपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	पैदापुर (सम्पूर्ण)	दक्षिण	01 से 156 तक

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1781/IX-1-2020-48T.A.-20, dated December 12, 2020 :

No. 1781/IX-1-2020-48T.A.-20

Dated Lucknow, December 12, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 2867/IX-1-2019-35T.A.-18, dated December 31, 2019 and other previous notifications issued in this behalf for including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Nigohi in district Shahjahanpur, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause- (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), and in partial modification of notification no. 2867/IX-1-2019-35T.A.-18, dated December 31, 2019 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Nigohi in district Shahjahanpur for the purposes of part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Nigohi in district Shahjahanpur :-

Sl. No.	Name of Village	Direction	Detail of Gatas
1	Paidapur (Whole)	South	01 to 156

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 470 राजपत्र-2020-(1012)-599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।